डायरी संख्या /2020 हनुमंदेवी बनाम ताराचन्द

दावा

टिप्पणी (क्रमिक)

8-1-20

पत्रावली आज राजस्व मंडल अजमेर से बाद निर्णय दिनांक 22-11-19 के मुताबिक प्राप्त हुई है जो पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे। पक्षकारान वकील व वादी व प्रतिवादीगण स्वयं हाजिर आये व प्रा. पत्र पेश किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया गया है दावा वादी आगे नहीं चलाना चाहते है अतः विड्रा कर दिया जावे। वकील पक्षकारान व स्वयं वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया तो पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया गया। राजीनामा हो जाने से वादी दावा आगे नहीं चलाने के कारण दावा वादी विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः दावा वादी विड्रा किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Deleted by Ashok 8/1/20

Identified by 8/1/20